न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी— राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	**दायर दिनांक**	**निर्णय दिनांक**
124/2024	**23.09.2024**	**15.10.2025**

अनवान

1. डालुचन्द पिता वरदा जाति जाट निवासी करजाली फोत के बजाय—
   1/1— रामेश्वर पिता डालुचन्द जाति जाट आयु वयस्क निवासी मुण्डकटिया हाल मुकाम करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
   1/2— सुशीला पुत्री डालुचन्द जाति जाट आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
   1/3— कंचन पुत्री डालुचन्द जाति जाट आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
   1/4— चांदी पुत्री डालुचन्द जाति जाट आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
   1/5— मोहनीबाई पत्नी डालुचन्द जाति जाट आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. अणछाई पत्नी भगवान जाति जाट आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. भगवान पिता उदेराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. धन्नीबाई पुत्री माधु पत्नी रायचन्द जाति जाट आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
4. प्रभुलाल पुत्र मदनलाल जाति खण्डेलवाल आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. पिंकी पुत्री उदयलाल पत्नी देवीलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी करजाली तहसीलं कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. बद्रीलाल पुत्र मदनलाल जाति खण्डेलवाल आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. भगवानलाल पुत्र माधु जाति जाट आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. मोहनी बाई पुत्री माधु पत्नी मिठु जाति जाट आयु वयस्क निवासी करजाली हाल पटोलिया तह0 भुपालसागर। (विलोपित)
9. लक्ष्मीलाल पिता रामलाल जाति खण्डेलवाल आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. श्यामुबाई पत्नी मदनलाल जाति खण्डेलवाल आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री मनोज कुमार जाट — प्रार्थीगण
अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच — अप्रार्थी संख्या 5.
शेष एकतरफा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर एवं
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा करजाली पटवार हल्का करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 203 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1317 रकबा 0.09 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा—चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच का. अधिकार पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है। पूर्व में दिनांक 07.11.2024 को अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 व 8 के विरूद्ध आदेशिका पर हस्ताक्षर कर कार्यवाही नही चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गई। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के संयुक्त खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर—बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के. अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात मौजा करजाली पटवार हल्का करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 203 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1317 रकबा 0.09 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 उमण्ड को 1000/— रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
जिला-चित्तौड़गढ़

(राजेश पुवालका)
उपखण्ड अधिकारी,
कपासन

उपखण्ड अधिकारी
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़